निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन 1935 (श0)

(सं0 पटना 175) पटना, वृहस्पतिवार, 20 फरवरी 2014

सं0 3ए-2-वे0पु0-18/2009(अंश)-**1720 वि0**

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,

अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),

महालेखाकार कार्यालय,

वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार ।

पटना, दिनांक **19/02/2014**

विषयः- **क्षेत्रीय/मुफ्फसिल कार्यालयों के लिपिक संवर्ग के कर्मियों को वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अनुमान्य वेतनमान के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हे कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों से इस स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है कि वैसे लिपिक या लिपिक-सह-टंकक जिन्हें 31/12/1995 तक प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन

वेतनमान रू0 4500-7000/- के वेतनमान में स्वीकृत किया गया है को दिनांक 01/01/2006 के बाद द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का कौन-सा वेतनमान अनुमान्य होगा ।

2. उपर्युक्त को स्पष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लिपिक संवर्ग में प्रथम प्रोन्नति का पद प्रधान लिपिक का अलग-अलग विभागों में अलग-अलग दो वेतनमान रू0 4500-7000/- एवं रू0 5000-8000/- में स्वीकृत था । यह मूलतः कार्यालयों के पद बल (Strength) के आधार पर था । दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से प्रधान लिपिक के उपर्युक्त दोनों वेतनमानों को एकीकृत करते हुए पी0बी0-2 (9300-34800) एवं ग्रेड-पे 4200/- स्वीकृत किया गया है ।

3. उपर्युक्त स्थिति में जिन लिपिकों को द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिनांक 01/01/2006 से 31/12/2008 के बीच ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के आलोक में देय होता है उन्हें देय उन्नयन पी0बी0-2 (9300-34800) एवं ग्रेड-पे 4600/- की वेतन संरचना में अनुमान्य किया जाएगा । इस देय वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ दिनांक 01/01/2009 के प्रभाव से दिया जायेगा ।

4. यह स्पष्टीकरण कार्य विभाग के लेखा लिपिकों पर प्रभावी नहीं होगा ।

विश्वासभाजन,

प्रभात शंकर,

सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 175-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in